

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अपालत

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी विपक्षीय

मुकाम

जंजापुर

बनाम

मांजीलाल

किस्म मुकदमा

128

सं.

54/2018

सन्

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुकम की तामी
में जारी हुए

23-4-18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ए
आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे
रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
मौजा.....

ग्राम..... (जंजापुर) की

आ.न. $\frac{204}{0.25}$ $\frac{205}{0.32}$ $\frac{206}{0.39}$ $\frac{212}{0.83}$ = की 2.59

विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1700/-
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी



Web Copy - Not Official